महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – चौसठवां संस्करण (माह अप्रैल, 2021)

''पहल'' के इस संस्करण में ....

1. अपनी बात ....
2. ट्रेनिंग मेनेजमेन्ट पोर्टल पर एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन
3. शोध–पत्र तैयार करने का तरीका
4. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ई–गवर्नेंस का प्रयोग
5. आपदा के प्रकार – चक्रवात
6. मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 (2001) की विशेषताएँ
7. सफलता की कहानी
8. भुवन पंचायत पोर्टल
9. काव्य रचनाएं

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार	प्रधान संपादक
श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (IAS) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री संजय कुमार सराफ, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com

Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का चौसठवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2021 का चतुर्थ मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के पालन में ''ट्रेनिंग मैनेजमेन्ट पोर्टल'' पर 1 अप्रैल 2021 से अनिवार्यतः संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के आगामी आयोजित प्रशिक्षणों की विस्तृत जानकारी की प्रविष्टि की जानी है। पोर्टल पर उक्त प्रविष्टि सुगमता पूर्वक करने के उद्देश्य से एक वेबिनार का आयोजन संस्थान में किया गया, जिसे **''ट्रेनिंग मेनेजमेन्ट पोर्टल पर एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन''** समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इसके साथ–साथ **''शोध–पत्र तैयार करने का तरीका''**, **''प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ई– गवर्नेंस का प्रयोग''**, **''आपदा के प्रकार – चक्रवात''**, **''मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 (2001) की विशेषताएँ''**, **''सफलता की कहानी''**, **''भुवन पंचायत पोर्टल''** एवं **''काव्य रचनाएं''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

ट्रेनिंग मेनेजमेन्ट पोर्टल पर एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन

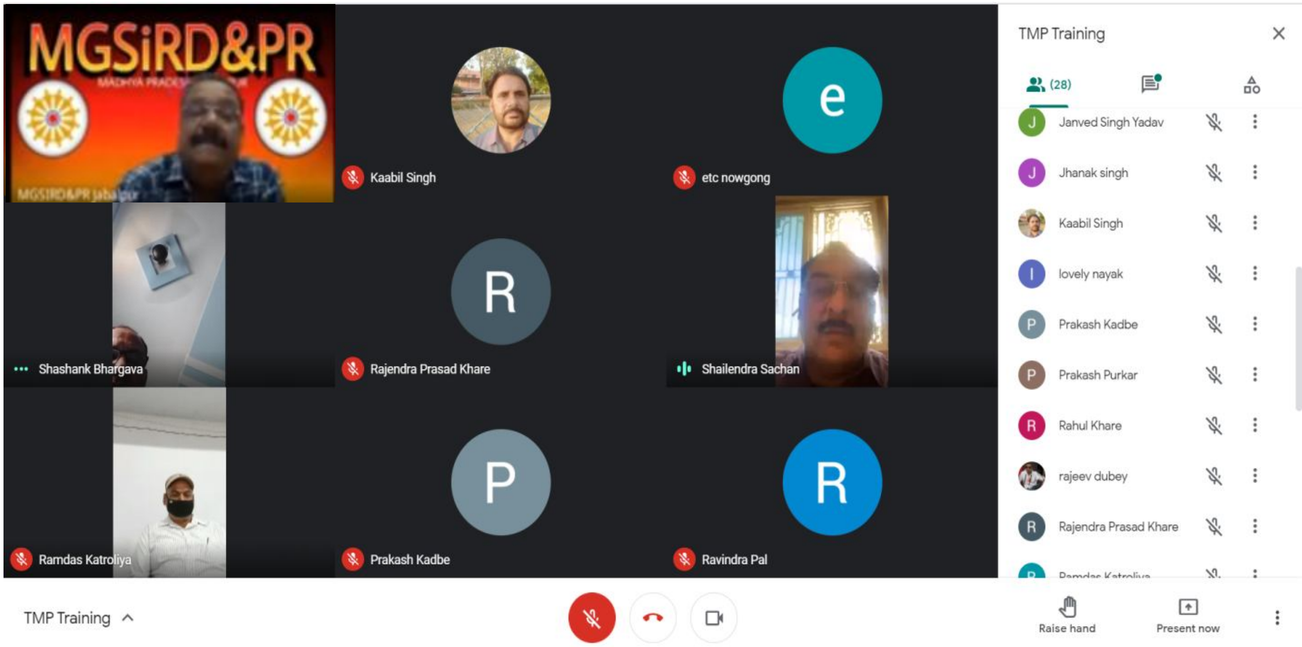

पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार ''ट्रेनिंग मैनेजमेन्ट पोर्टल'' पर संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के समस्त आयोजित प्रशिक्षणों की विस्तृत जानकारी की प्रविष्टि की जानी है। उक्त प्रविष्टि सुगमता पूर्वक करने के उद्देश्य से इस वेबिनार का आयोजन महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र. जबलपुर के द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2021 को किया गया।

आयोजित बेविनार के प्रारंभ में संस्थान के उप संचालक, श्री शैलेन्द्र कुमार सचान द्वारा प्रशिक्षण में शामिल सभी प्रतिभागियों को ''ट्रेनिंग मेनेजमेन्ट पोर्टल'' के महत्व एवं पोर्टल पर संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित सत्रों की प्रविष्टि अनिवार्यतः करने तथा प्रशिक्षण सत्रों की प्रविष्टि को कैसे करना है, इसको सीखने पर जोर दिया गया।

इस वेबिनार में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर एवं समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों (भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सिवनी, नौगांव) कुल 41 संकाय सदस्य/कम्प्यूटर प्रोग्रामर शामिल हुए।

उक्त प्रशिक्षण में ट्रेनिंग मेनेजमेन्ट पोर्टल पर प्रशिक्षण संबंधी जानकारी की प्रविष्टि करने हेतु प्रशिक्षण विषय जोड़ना, प्रशिक्षण बैच की प्रविष्टि, प्रबंधन, फ्रीज करना, पब्लिश करना, कोर्स सत्र समन्वयक बनाना, एजेन्डा बनाना, नवीन वेन्यू को जोड़ना, प्रतिभागियों की सूची अपलोड करना, उपस्थिति सत्यापित करना एवं प्रशिक्षण शैड्यूल के स्टेट्स को अपडेट करना आदि को पावरपाइंट प्रजेन्टेशन एवं वेबसाईट पर डिमांस्ट्रेट कर प्रायोगिक तथा व्याख्यान के माध्यम से प्रतिभागियों को बताया गया।

प्रशिक्षण के अंत मे सभी प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण में बताये गये सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिभागियों द्वारा फीडबैक के दौरान यह प्रशिक्षण उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा ऐसा बताया गया तथा इस प्रशिक्षण के आयोजन करने के लिए श्री संजय कुमार सराफ, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर का आभार व्यक्त किया गया। प्रशिक्षण के सत्र समन्वयक श्री जय कुमार श्रीवास्तव, प्रोग्रामर द्वारा प्रतिभागियो की इस प्रशिक्षण से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान करते हुये सभी को धन्यवाद देते हुए प्रशिक्षण का समापन किया गया।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

शोध–पत्र तैयार करने का तरीका

शोधपत्र से आशय

समाज की संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन लगातार होते जाते हैं। समय के साथ–साथ सामाजिक व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं में बदलाव होता है। ये ही परिवर्तन भविष्य की सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने व इन जानकारियों के आधार पर किसी समस्या के निदान सुझाने, नवीन प्रक्रिया, नवीन व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए शोध कार्य किये जाते हैं।

इन शोध कार्यो के निष्कर्षो को संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए शोधार्थी द्वारा शोधपत्र तैयार किये जाते हैं। इस प्रकार के शोघ पत्र ही को शोघ पत्रिका शोध पत्रिकाओं का हिस्सा बन जाते हैं। सेमीनार में इन्ही शोधपत्रों का वाचन होता है।

शोध पत्र के प्रकार

शोध पत्र के विभिन्न प्रकार हैं। जिनमें तार्किक शोध पत्र (Argumentative Research Paper), कारण प्रभाव शोध पत्र (Cause and Effect Research Paper), विश्लेणात्मक शोध पत्र (Analytical Research Paper), परिभाषीकरण शोध पत्र (Definition Research Paper), तुलनात्मक शोध पत्र (Contrast Research Paper), व्याख्यात्मक शोध पत्र (Interpretive Research Paper) आदि प्रमुख हैं।

शोध प्रपत्र का प्रारूप

शोध पत्र लिखने का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है। शोधकर्त्ता विषय–वस्तु एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये शोध–पत्र लिखते हैं। सामान्यतः शोध प्रपत्र प्रारूप में भूमिका, विषय–वस्तु, मुख्य अंश, परिणाम व सुझावों को शामिल किया जाता है। शोध प्रपत्र तैयार करने का सुझावत्मक प्रारूप निम्नानुसार है :–

(1) शोघपत्र का शीर्षक

(2) शोधार्थी का नाम, पद, पता

(3) भूमिका – संक्षेप में भूमिका लिखने के बाद विषय वस्तु का परिचय

(4) शोघ/ अध्ययन की आवश्यकता

(5) परिकल्पना

(6) अध्ययन के उद्देश्य

(7) अध्ययन का क्षेत्र

(8) तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोत

(9) साहित्य पुनरावलोकन

(10) विषय वस्तु

(11) मुख्य अंश

(12) परिणाम

(13) सुझाव

(14) सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

शोधपत्र पेपर तैयार करते समय ध्यान में रखी जाने बातें :–

शोध–पत्र के लिए विषय–वस्तु का चयन

सबसे पहले शोध–पत्र का विषय तय करना चाहिए। इसके बाद विषय के अनुसार हम अपने शोधपत्र का शीर्षक बनायेंगे। हमें अपने शोध–पत्र का विषय ऐसा चुनना चाहिए जिस पर हमारी रूचि हो, जिससे हमारा जुड़ाव हो। शोध के विषय से संबंधित संदर्भित सामग्री, पूर्व के शोध के निष्कर्ष आदि की उपलब्धता हो।

हमारे द्वारा तैयार किया जा रहा शोघ–पत्र मौलिक हो। शोघ–पत्र में वास्तविकता होना चाहिए। हम अन्य शोघ/ अध्ययन का संदर्भ तो लें किन्तु पूरी की पूरी नकल की कर दें यह सही नहीं है।

शोध–पत्र का शीर्षक निर्धारित करना

शोधपत्र के शीर्षक को अच्छे से विचार करने के बाद निर्धारित करें। अगर किसी योजना पर आधारित शोधपत्र लिख रहें हों तो शीर्षक में योजना का पूरा नाम लिखें। शोधपत्र के शीर्षक में पहले योजना का पूरा नाम, इसके बाद कोष्टक में योजना का संक्षिप्त नाम लिखा जाना उपयुक्त होगा।

शोध के माध्यम से किसी योजना के प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो किस प्रकार के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं यह स्पष्ट लिखें जैसे – सामाजिक, आर्थिक आदि। शोधपत्र के शीर्षक में यह भी जोड़ा जाना उपयुक्त होगा कि यह अध्ययन या मात्र अभिव्यक्ति। शोधपत्र के शीर्षक में जिस विषय पर शोधपत्र लिखा जा रहा है उसका "अध्ययन" जैसे शब्द जोड़ना उपयुक्त होगा। शोधपत्र विषयवस्तु का हैण्डआउट् नहीं होता है यह तो विषय पर किये गये अध्ययन की संक्षिप्त रिपोर्ट होती है।

शोधपत्र के प्रत्येक अंश के उपशीर्षक बना लेवें। जिसमें उस उपशीर्ष के अर्न्तगत आने वाली बातों को लिखें। किसी भी उपशीर्षक को बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं करते हुये छोटे–छोटे उपशीर्षक बनाये जा सकते हैं।

विषय–वस्तु का समावेश

जिस विषय या योजना का अध्ययन किया जा रहा है उसके संबंध में मोटी–मोटी जानकारी को शोधपत्र में शामिल करें। अन्य योजनाओं को जब मुख्य विषय के साथ देना जरूरी हो तो इन योजनाओं के उद्देश्य, प्रक्रिया आदि को भी शामिल करें। इसके बाद मुख्य योजना से जोड़ते हुये अभिशरण "कनरवजेंस" अन्तर्गत इन्हें शामिल किया जा सकता है।

क्षेत्र से प्राप्त जानकारियों, संदर्भ साहित्य का अध्ययन, संकलन

शोध का एक विषय और शीर्षक तय कर लेने के बाद, अगला कदम शोध की शुरुआत है। क्षेत्र से जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुसूची, प्रश्नावली आदि का उपयोग किया जा सकता है।

शोध करने के लिए विभिन्न संदर्भ स्त्रोतों का उपयोग करें। जैसे वेब पेज, जर्नल आलेख, किताबें, विश्वकोश, साक्षात्कार, और ब्लॉग पोस्ट इत्यादि। जहां भी संभव हो, श्रेष्ठजनों द्वारा समीक्षा किये हुए प्रयोग आधारित शोध को देखें। इस प्रकार के संदर्भ स्त्रोत हमारे शोध–पत्र को सही दिशा देने में काफी सहायक होंगे। इन्हें हम विभिन्न जर्नल या ऑनलाइन खोज के द्वारा ढूंढ सकते हैं।

लेखन शैली

कुछ शोधपत्रों में इंग्लिश से हिन्दी ''गूगल ट्रांसलेशन'' कर दिया जाता है। जिसे पढ़ने में और अधिक कठिनाई हो रही है और शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। शब्दों को हिन्दी या इंग्लिश में या जहां जरूरत हो तो दोनों भाषाओं में स्पष्ट रूप से लिखें। इंग्लिश के तकनीकी शब्दों की सरल भाषा में व्याख्या करना उपयुक्त रहता है।

शोधपत्र में कहीं कुछ और कहीं कुछ शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिये। जैसे कहीं सामाजिक अंकेक्षण और कहीं सोशल ऑडिट शब्द का उपयोग कर दिया जाता है। एक ही शब्द का उपयोग किया जावे। शोधपत्र में ''कुछ'' जैसे शब्दों का उपयोग करने से बचे। जो भी लिखना हो स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।

सारिणी, चित्र, रेखाचित्र का परिचय, विश्लेषण

शोधपत्र में आंकड़ों की सारिणी के बाद उसका विश्लेषण का पैरा जोड़ना चाहिए।

यह आंकड़े कहां से लिये गये हैं इसका संदर्भ स्त्रोत लिखा जाना चाहिए। शोधपत्र में सारिणी, चित्र, रेखाचित्र, डिजाईन, गतिविधियों के फोटोग्राफ्स, दिये जाते हैं। इनके साथ में इनका संक्षेप परिचय, विश्लेषण आदि को शामिल किया जाना उपयुक्त होगा ताकि विषय स्पष्ट हो सके। शोधपत्र में चित्र, इनके साथ ही उसका संक्षिप्त विवरण शामिल किया जावे। इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं यह स्पष्ट हो सकेगा।

शोध की रूपरेखा तैयार करना

शोधपत्र में वांछित बिन्दुओं जैसे शोधपत्र में अध्ययन के उद्देश्य, शोध प्रविधि, परिकल्पना, अध्ययन की विषयवस्तु, अध्ययन उपरांत प्राप्त अभिमतों, सुझाव, निष्कर्ष, परिणामों आदि को शामिल करना उपयुक्त होता है। शोधपत्र की प्रस्तावना संक्षेप में लिखने के बाद योजना का स्वरूप, उद्देश्य, प्रक्रिया, डिजाईन, लक्ष्य, प्रगति आदि का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। शोधपत्र में निष्कर्ष एवं सुझावों को बिन्दुवार, स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए।

एक बार जब आप सारी सामग्री जुटा लें तो उसका प्रिंट निकाल लीजिए। इसके बाद अपने शोध–पत्र के किस भाग में उसे जोड़ना है उस हिसाब से सामग्री को वर्गीकृत कर लीजिए। इसके बाद अपने शोध की सामग्री को रूपरेखा के अनुसार व्यवस्थित करते जावें। नोट्स एवं संदर्भ सामग्री में पेन्सिल से मार्किंग करते जावें। इसके साथ–साथ कागज की पर्ची लगा कर भी हम नोट्स को सुव्यस्थित कर सकते हैं।

हमने जो नोट्स तैयार किये हैं उनमें प्रत्येक संदर्भ स्त्रोत का ब्यौरा लिखते जावें। इससे हमें याद रहेगा कि यह सामग्री हमने किस स्त्रोत से संकलित की है। अलग से भी संदर्भ स्त्रोत का ब्यौरा लिखते जावें। जिसमें स्रोत के लेखक, पृष्ठ संख्या, शीर्षक, और प्रकाशकीय सूचना इत्यादि लिखें। इस प्रकार से अपनी संदर्भग्रंथ सूची भी तैयार होती जावेगी।

शोधपत्र में ऐसी टिप्पणी न करें जिसकी पुष्टि सीधे आपके शोध के तथ्यों से न हो। शोधपत्र में उल्लेखित अपनी हर बात को साक्ष्यों से पुष्ट करें। जब तक वह बेहद अनिवार्य न हो, उसे अपने ही शब्दों में व्यक्त और विश्लेषित करने की कोशिश कीजिए।

अपने शोधपत्र में साफ–सुथरे और संतुलित गति से एक बिंदु से दूसरे तक जाने का प्रयास करें। निबंध में स्वछन्द तारतम्य और प्रवाह होना चाहिए, इसके बजाय कि अनाड़ी की तरह रुक–रुक कर क्रम टूटे और फिर अचानक शुरू हो जाए। यह ध्यान रखें कि लेख के मुख्य भाग वाला हर पैरा अपने बाद वाले से जाकर मिलता हो।

निष्कर्ष लिखना

शोधपत्र में उपसंहार के स्थान पर निष्कर्ष शब्द का उपयोग करना ज्यादा उपयुक्त होता है। अब जब आपने सावधानीपूर्वक अपने साक्ष्यों पर काम पूरा कर लिया है, तो एक निष्कर्ष लिखें जो आपके खोजे गए परिणाम को संक्षिप्त रूप से पाठकों तक रखे, और जो समाप्ति का आभास देता हो।

संदर्भ स्त्रोत का उल्लेख करें

संदर्भ ग्रंथ सूची को और स्पष्टता के साथ लिखने की आवश्यकता होती है। विषय से संबंधित कुछ ग्रंथ, पुस्तकों के अध्ययन करने पर कुछ अंश लिये जा सकते हैं जिन्हें शोधपत्र में और संदर्भ सूची में जोड़ सकते हैं। शोधपत्र में लिखी गई बातें जैसे तथ्य कहां से मालूम हुये हैं इसका उल्लेख करना चाहिये। शोधपत्र में शामिल किये गये आंकड़ों के साथ ही साथ संदर्भ स्त्रोत का भी उल्लेख कर दिया जावे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये आंकड़े कहां से लिये गये हैं।

संदर्भ स्त्रोत :

(1) बेववाईट : https://hi.wikihow.com एक शोधपत्र (Research-Paper)

(2) Dr. SHIV BHOLE NATH SRIVASTAVA, HOW TO WRITE A RESEARCH PAPER ? NOVEMBER 21, 2018,

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ई गवर्नेंस का प्रयोग

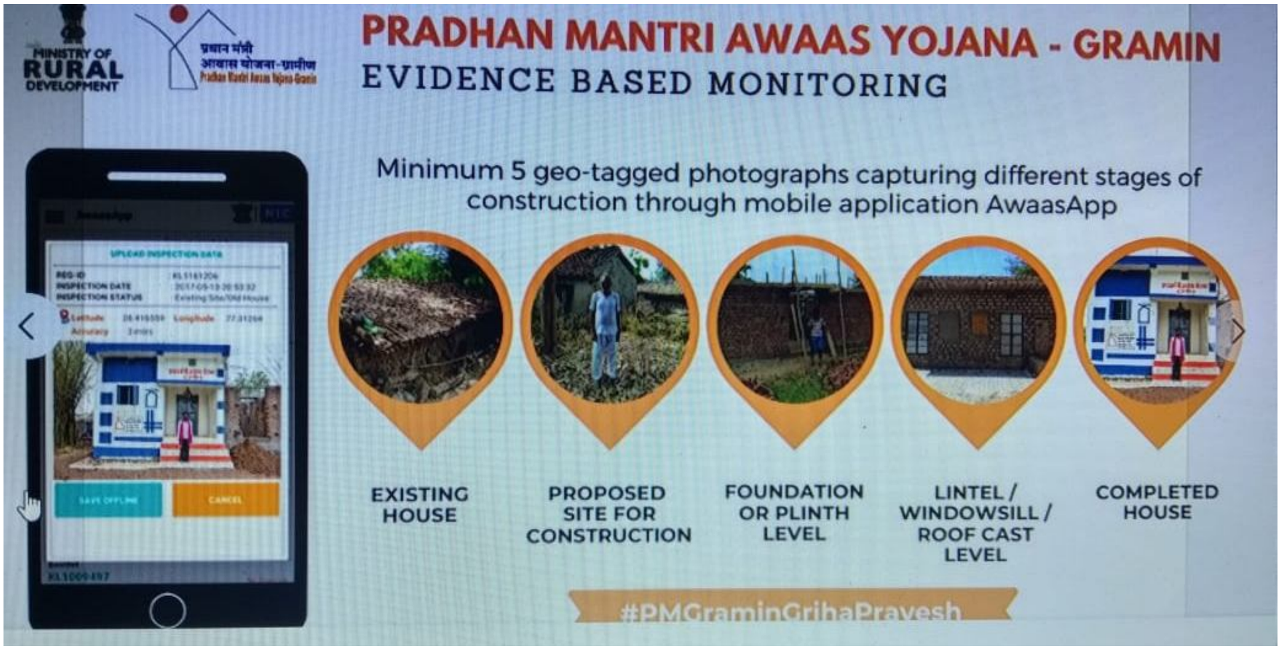

ई–गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक शासन पद्धति का अर्थ है कि किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना।कार्य में पारदर्शिता लाना, समय की बचत, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण एवं सेवा प्रदाता की जवाबदेही सुनिश्चित करना ई गवर्नेंस के प्रमुख उद्देश्य हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं जीर्ण शीर्ण मकानों में निवासरत परिवारों को सन 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2016 से प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन, निगरानी एवं रिर्पोटिंग निरंतर ई गवर्नेंस मॉडल से की जाती है।इस योजना में ई शासन आधारित सेवा प्रदायगी इस प्रकार है –

1. निधी प्रबंधन

डिजिटल हस्ताक्षरित एफ टी ओ के माध्यम से हितग्राहियों को सीधे उनके पंजीकृत बैंक‍ पोस्ट ऑफिस खातों में अनुदान राशि की किश्तों का अंतरण किया जाता है।

2. पारदर्शिता

पीएमएवाई योजना की समस्त जानकारी पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है।

3. प्रभावी रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग

इस योजना में रिपोर्टिंग एवं मोनिटरिंग का कार्य आवास सॉफ्ट एवं आवास एप के माध्यम से किया जाता है।आवास सॉफ्ट रियल टाइम ट्रांसेक्शनल डाटा के आधार पर विभिन्न मानदंडों पर अनेक सूचनायें (रिपोर्ट) सृजित करता है।इस रिपोर्ट का उपयोग अलग अलग प्रकार की निगरानी हेतु किया जाता है। आवास सॉफ्ट में वर्कफ्लो आधारित ट्रांसेक्शनल डाटा का उपयोग करते हुए प्रगति को

रियल टाइम दर्ज कर क्रियान्वयन मॉनिटरिंग की जाती है।

4. आवास सॉफ्ट

यह पीएमएवाई ग्रामीण में ई गवर्नेंस को सुगम बनाने वाला वेब आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायगी प्लेटफॉर्म है।योजना के सभी महत्वपूर्ण कार्यो जैसे SECC 2011 सर्वे सूची से हितग्राहियों का चयन, लक्ष्यों का निर्धारण, हितग्राहियों का पंजीकरण, बैंक खाता, आधार नम्बर, मनरेगा जॉब कार्ड नंबर दर्ज करना, स्वीकृति आदेश जारी करना, किश्त जारी करना, हितग्राही के पुराने आवास एवं प्रस्तावित आवास स्थल के जिओ टैग फोटो दर्ज करना आदि कार्य आवास सॉफ्ट के माध्यम से किये जाते हैं।आवास निर्माण के विभिन्न चरणों की प्रगति की मॉनिटरिंग हेतु आवास सॉफ्ट में रिपोर्ट उपलब्ध होती है जैसे भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, कन्वर्जेन्स रिपोर्ट, ई एफ एम एस रिपोर्ट आदि।

5. आवास एप

यह मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके द्वारा पुराने आवास एवं प्रस्तावित नए आवास के निर्माण स्थल के जिओ टैग फोटो एवं आवास निर्माण के विभिन्न स्तरों के जिओ टैग रियल टाइम फोटो लिये जाते हैं।इससे वास्तविक प्रगति का सत्यापन और निगरानी निरीक्षणकर्ता या हितग्राहियों द्वारा की जा सकती है एवं आवास सॉफ्ट में फोटोग्राफ अपलोड कर हितग्राही को आवास हेतु किश्त जारी की जाती हैं।

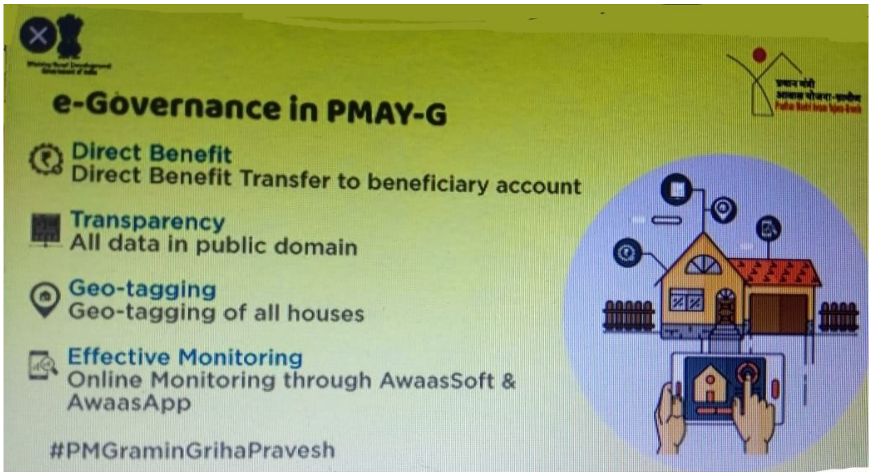

6. आवास प्लस एप

यह एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप है जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे हितग्राहियों के सर्वे हेतु किया जाता है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता मापदंडों को पूर्ण करते हैं लेकिन SECC 2011 सर्वे सूची में उनका नाम नहीं है।आवास प्लस एप में आवास हेतु पात्र हितग्राहियों के वर्तमान आवास के जिओ टैग फोटोग्राफ, परिवार सर्वे संबंधित जानकारियां अपलोड की जाती हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस के बढ़ते उपयोग ने प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के क्रियान्वयन, रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग को सरल, समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राजीव लघाटे,
मु.का.अ.ज.पं.

आपदा के प्रकार – चक्रवात (Cyclone)

चक्रवात क्या है?

- सामान्य रूप में चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ संकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, परिणामस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती हैं। चक्रवातों का आकार प्रायः गोलाकार, अंडाकार या v अक्षर के समान होता है। जलवायु तथा मौसम में चक्रवात का पर्याप्त महत्व होता है, क्योंकि इनके द्वारा किसी भी स्थान जहां पर यह पहुंचते हैं, वहॉ की वर्षा तथा तापमान प्रभावित होती है। चक्रवातों को वायुमंडलीय विक्षोभ भी कहा जाता है।

  अब स्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त करते हैं –

I. शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात (Temperate Cyclones)

II. उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones)

शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात (Temperate Cyclones)

- मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब होता है। इस चक्रवात में समदाब रेखाएं v आकार की होती हैं। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्णार्द्र वायुराशि के मिलने के कारण होता है तथा इनका क्षेत्र 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्द्ध में पाया जाता है, जहां पर पछुआ पवंनों के प्रभावों में यह पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं। भारत में इस चक्रवात का प्रभाव शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह चक्रवात भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रबी की फसल के लिए लाभदायी है। यह चक्रवात भारत के लिए लाभकारी है इसलिए इसका आपदा के रूप में अध्ययन नहीं करते हैं।

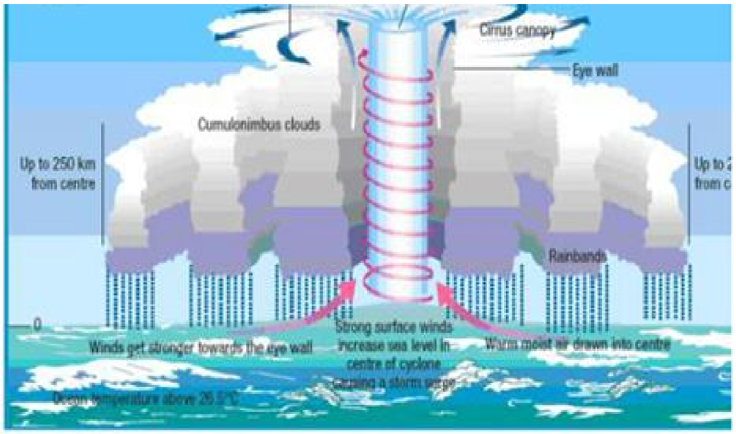

उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones)

- उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यह निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं, जिनका औसत व्यास 640 किलोमीटर तक होता है। वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में होती

है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक शक्तिशाली, विनाशकारी, खतरनाक तथा घातक वायुमंडलीय तूफान होते हैं। भारत के पूर्वी तटीय प्रदेशों में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अतः हम इस अध्याय में चक्रवात का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो निम्नलिखित है –

उष्णकटिबंधीय चकवात का निर्माण

अनुकूल परिस्थितियाँः उष्णकटिबंधीय चक्रवात वायुमंडलीय और महासागरीय घटनाएं होती हैं। इसकी उत्पत्ति से सम्बंधित कुछ चिन्हित अनुकूल परिस्थितियॉ निम्नलिखित हैंः

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति महासागर के ऊपर होती है। इसकी उत्पत्ति विषुवत रेखा के दोनों ओर 5^0–30^0 अक्षांशों तक दोनों गोलाद्धों में होती है।
- समुद्री सतह गर्म (26^0–27^0 सेंटीग्रेट से अधिका तापमान) होनी चाहिए एवं इस तापन का विस्तार सतह के नीचे 60 मीटर की गहराई तक होना चाहिए। साथ ही इस सतह के ऊपर स्थित विशाल वायु में प्रचुर मात्रा में जल वाष्प (वाष्पीकरण द्वारा) होनी चाहिए।
- वायुमंडल में लगभग 5,000 मीटर की ऊँचाई तक उच्च सापेक्षिक आर्द्रता विद्यमान हो,
- ऊपर उठती आर्द्र वायु के संघनन के कारण अतिविशाल ऊर्ध्वाधर कपासी मेघ के निर्माण को प्रोत्साहित करने वाली वायुमंडलीय अस्थिरता विद्यमान हो,
- वायुमंडल के निम्न और उच्च स्तरों के बीच ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण (कर्तन) कम या क्षीण होना चाहिए जो मेघों में उत्पन्न एवं निर्मुक्त ताप को क्षेत्र से निकलने नहीं देता है (ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण, वायुमंडल के निम्न और उच्च स्तरों के बीच पवन के परिवर्तन की दर होती है।),
- चक्रवात भंवर (Cyclonic vorticity) (वायु के घूर्णन की दर) की उपस्थिति होनी चाहिए जो वायु की चक्रवातीय गति को प्रारम्भ करता है, और इसे बनाएं रखने में सहयोग करता है।

चकवातों को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता है।

- अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा के पश्चिम में उत्तरी–पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में टाइफून;
- उत्तरी अटलांटिक महासागर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में उत्तरी–पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में हरिकेन;
- दक्षिणी–पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी–पूर्वी हिन्द महासागर के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात;
- उत्तरीय हिन्द महासागर क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान;
- दक्षिणी –पश्चिमी हिन्द महासागरीय क्षेत्र में उष्कटिबंधीय चक्रवात;
- ऑस्ट्रेलिया में विली–विली; एवं
- दक्षिणी अमेरिका में टोरनेडो;

चक्रवात में निम्न दाब केंद्र के चारों ओर – उत्तरी गोलार्द्ध में वामावर्त दिशा में एवं दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त दिशा में – प्रबल पवनें प्रवाहित होती हैं, हालांकि केंद्र (जिसे चक्रवात की आंख कहते है) में पवन बहुत कम होती है और आम तौर पर यह क्षेत्र मेघ और वर्षा रहित होता है। केंद्र से लगभग 20 से 30 कि.मी. की दूरी पर पवनें तेजी से अपना अधिकतम वेग प्राप्त कर लेती हैं (प्रायः 150 कि.मी./घन्टे से अधिक) और इसके आगे क्रमिक रूप से इनका वेग कम होता जाता है और लगभग 300 से 500 कि.मी. की दूरी पर सामान्य हो जाता है। चक्रवातों का व्यास 100 से 1000 कि.मी. तक होता है, जहॉ ऑख के व्यास से परे एक संकीर्ण क्षेत्र में अत्यधिक प्रबल पवनें उत्पन्न हो सकती हैं, जिनकी गति कभी कभी 250 कि.मी. प्रति घंटे से अधिक होती है।

भारत में चकबात के जोखिम

- भारत की तटरेखा 7,516 किलोमीटर लम्बी है, जिसमे से 5,422 किलोमीटर मुख्यभूमि के किनारे हैं तथा 2094 किलोमीटर द्वीपीय क्षेत्र के अंर्तगत है। जिसमें से 132 किलोमीटर लक्षद्वीप में तथा, 1,962 किलोमीटर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। यद्यपि उत्तरी हिन्द महासागर बेसिन, (भारतीय तट समेत), में विश्व के केवल 7 प्रतिशत् चक्रवात आते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से इनका प्रभाव गंभीर तथा विनाशकारी होता है। ऐसा विशेषतः तब होता है जब ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी की सीमा पर स्थित तटों से टकराते हैं। औसतन, प्रतिवर्ष पांच से छः उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्मित होते हैं जिनमें से दो या तीन विनाशकारी हो सकते है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में कहीं अधिक तूफान आते हैं तथा यह अनुपात 4:1 का है।

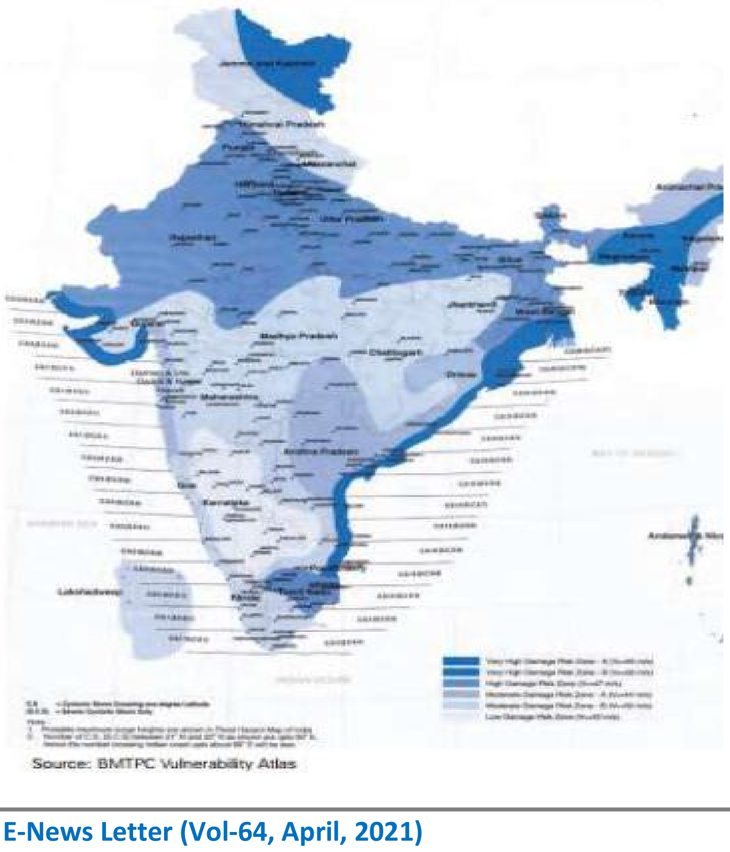

Source: BMTPC Vulnerability Atlas

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई–जून तथा अक्टूबर–नवम्बर के महीने में आते हैं। उत्तरी हिन्द महासागर में अत्यधिक तीव्रता एवं आवृत्ति वाले चक्रवात बाई– मोडल (Bi-modal) प्रकृति के होते हैं। उनकी प्राथमिक उच्च आवृत्ति मई में होती है। साथ में प्रवाहित विनाशकारी पवनों, तूफानी लहरों तथा भारी वर्षा के कारण उत्तरी हिन्द महासागर (बंगाल की

खाड़ी तथा अरब सागर) में लैंडफॉल के समय आपदा की संभावना विशेष रूप से अधिक होती है।

भारत के चक्रवात संभावित क्षेत्र

- देश में 13 तटीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें स्थित 84 तटीय जिले उष्णकटिबंधीय च्रवात से प्रभावित हैं। पूर्वी तट पर चार राज्य (तमिलनाडू, आन्ध्र प्रदश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल) तथा एक केंद्र शासित प्रदेश (पुड्डुचेरी) तथा पश्चिमी तट पर एक राज्य (गुजरात) चक्रवात आपदा के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं।

चक्रवात संबधी संकट के परिणाम

- तटीय प्रदेशों के आस–पास निचले क्षेत्रों का जलमग्र होना;
- भारी बाढ़, भूस्खलन;
- तटों तथा तटबंधों का अपरदन;
- वनस्पति व अवसंरचना का विनाश तथा मानव जीवन की क्षति;
- भूमि की उर्वरता के साथ–साथ फसलों तथा खाद्य–आपूर्ति की क्षति;
- भूमि तथा पाइप द्वारा जल आपूर्ति का संदूषण; एवं
- संचार लिंक में गंभीर व्यवधान।

भारत में चक्रवात चेतावनी प्रणाली

- चक्रवातीय निम्न दाब एवं इसके विकास का पता इसके क्षति करने के कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन पूर्व तक लगाया जा सकता है। उपग्रह इन चक्रवातों के संचालन का पता लगा लेते हैं जिसके आधार पर प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्रों से लोगों का बाहर निकाल लिया जाता है। इसके लैंडफॉल की सटीकता की भविष्यवाणी कठिन होती है। लैंडफॉल संबंधी सटीक भविष्यवाणी के पश्चात संकटापन्न जनसंख्या को स्वंय के बचाव के लिए केवल कुछ घंटों का समय मिल पाता है।
- भारत की चक्रवात चेतावनी प्रणाली विश्व की सबसे अच्छी चक्रवात चेतावनी प्रणालियों में से एक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) वायु की गति व दिशा का पता लगाने, उस पर नजर रखने तथा चक्रवात की भविष्यवाणी करने के लिए नोडल विभाग है। चक्रवात के संबंध में जानकारी (INSAT) उपग्रह की सहायता से जुटाई जाती है, चक्रवात के विषय में चेतावनी कई साधनों यथा उपग्रह आधारित आपदा चेतावनी प्रणालियों, रेडियों, टेलीविजन, टेलीफोन, फैक्स, सार्वजनिक उद्घोषणाओं तथा प्रेस बुलेटिन आदि के माध्यम से प्रसारित की जाती है। इन चेतावनियों को आम जनता, मछुवारों के समुदायों (विशेषतः जो समुद्र में मछली पकड़ने गए हों), पत्तन प्राधिकारियों, व्यावसायिक उड़ान सेवाओं तथा सरकारी तंत्र तक प्रसारित किया जाता हैं।

चक्रवात आश्रय–स्थल (Cyclone Shelters)

- चक्रवात के दौरान मानव जीवन की हानि को रोकने के सर्वाधिक सफल तरीकों में से एक चक्रवात आश्रय स्थल का निर्माण करना है। सघन जनसंख्या वाले तटीय क्षेत्रों में जहां बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालना संभव नहीं होता, सार्वजनिक भवनों का उपयोग चक्रवात आश्रय–स्थलों के रूप में किया जा सकता है। इन इमारतों को इस प्रकार अभिकल्पित (डिजाइन) किया जा सकता है कि उसमें अग्रभाग रिक्त हो तथा वायु की दिशा में कम से कम छिद्र हों। भवनों के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को तूफान के सम्मुख रहना चाहिए, ताकि वायु का प्रतिरोध कम से कम रहे। तूफान का प्रभाव कम करने हेतु अर्थ बर्म (Earth Berm) संरचनाओं और भवनों के अग्रभाग में ग्रीन बेल्ट का प्रयोग किया जा सकता है।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए संभावित जोखिम शमन संबंधी उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं;

- **तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण:** यह ग्रीन बेल्ट क्षति को कम करता है क्योंकि वन आकस्मिक बाढ़ों तथा शक्तिशाली पवनों के विरूद्ध बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। वनों के अभाव में चक्रवात निर्बाध रूप से भीतरी भागों को प्रभावित कर सकते हैं।
- **संकट का मानचित्र (Hazard Mapping):** वायु की गति तथा दिशा संबंधी मौसमी आंकड़े, एक विशिष्ट गति पर चक्रवात के घटित होने का पैटर्न उपलब्ध कराते हैं। संकट का मानचित्रण किसी भी दिए गए वर्ष में चक्रवात के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों का विवरण प्रदान कराता है तथा चक्रवात की प्रचंडता तथा उक्त क्षेत्र में विविध प्रकार की क्षति की गंभीरता का अनुमान लगाता है।
- **भूमि उपयोग नियंत्रण:** इसे इस प्रकार अभिकल्पित किया जा सकता है, कि महत्वपूर्ण गतिविधियों सुभेद्य क्षेत्रों में कम से कम संचालित हों। बाढ़ के मैदानों में आबाद बस्तियों की अवस्थिति सर्वाधिक जोखिम में होती है। भूमि उपयोग अभिकल्पना (डिजाइन) में मुख्य सुविधाओं के स्थान को अनिवार्य रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए। भूमि उपयोग को विनियमित करने के लिए नीतियॉ उपलब्ध होनी चाहिए। तथा भवनों निर्माण संहिता का प्रवर्तन किया जाना चाहिए।

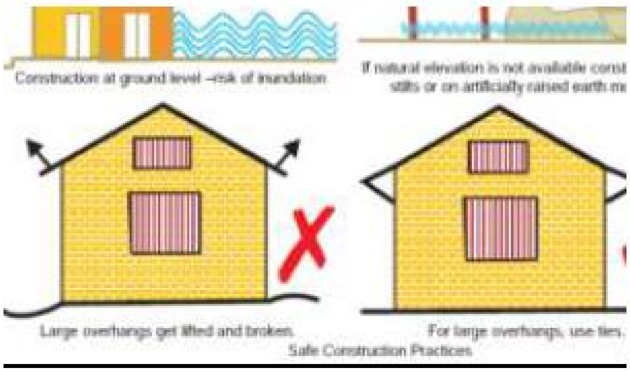

- **योजनाबद्ध संरचनाऐं:** पवन के दबाव को झेलने के लिए योजनाबद्ध संरचनाऐं निर्मित की जानी चाहिए। उपयुक्त स्थान का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तटीय क्षेत्रों में अधिकांश इमारतें बिना किसी योजनाबद्ध डिजाइन के स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों से ही बनाई जाती है। निर्माण संबंधी बेहतर पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए जैंसे :

- चक्रवाती तूफान तटीय क्षेत्रों की जलप्लावित कर देते हैं। इसलिए, भवन आदि संरचनाओं को खंभों या टीलों के ऊपर बनाने की सलाह दी जाती है।
- पवन का प्रतिरोध कर पाने तथा बाढ़ से होने वाली क्षति से बचने के लिए घरों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। वस्तुओं को ऊपर उठाने वाले बल का प्रतिरोध कर पाने तथा वस्तुओं के उड़ जाने से बचाने के लिए संरचना को जकड़ कर रखने वाले हिस्सों को अच्छी तरह बांधा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए छतों को अधिक न लटकाया जाए तथा बाहर निकले भागों को अच्छी तरह से बांधा जाए।
- वृक्षों की एक पंक्ति सुरक्षा कवच (Shield) का काम कर सकती है। यह चक्रवात की ऊर्जा को कम करती है।
- भवनों को पवन तथा जल के सन्दर्भ में प्रतिरोधी होना चाहिए।
- खाद्य आपूर्तियों का भण्डारण करने वाली इमारतों का वायु तथा जल से बचाव किया जाना चाहिए।
- नदी तटबंधों की रक्षा की जानी चाहिए।
- संचार लाइनें भूमिगत रूप से बिछाई जानी चाहिए।
- सुभेद्य स्थलों पर सामुदायिक आश्रय के लिए मजबूत कक्षों का निर्माण किया जाना चाहिए।

- **बाढ़ प्रबंधनः** भारी वर्षा, तेज पवनों तथा तूफान के कारण चक्रवात प्रभावित क्षेत्र बाढ़ का शिकार हो जाते हैं। भूस्खलन की संभावनाएँ भी रहती हैं। इसलिए बाढ़ शमनकारी उपायों को सम्मिलित किया जा सकता है।
- **वानस्पतिक आच्छादन में सुधार करनाः** पौधों तथा वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं तथा अपरदन को रोकती हैं और जल के बहाव को धीमा कर देती हैं, इससे बाढ़ की संभावना समाप्त या कम हो जाती है। पंक्तियों में लगाए गए वृक्ष तीव्र पवनों के विरूद्ध सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं।
- **तटों पर वातरोधी वृक्षारोपण** कर पवनों की विध्वंसक गति को कम किया जा सकता है। इससे विनाशकारी प्रभाव में कमी आ जाती है।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन योजना (National Cyclone Risk Mitigation Project : NCRMP)

- भारत सरकार ने तटीय समुदायों (जो सामान्यतः निर्धन तथा समाज के कमजोर वर्गो से हैं) की सुभेद्यता का समाधान करने के लिए जनवरी, 2011 में आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के लिए NCRMP चरण–1 का आरम्भ किया। NCRMP चरण–2 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में लागू करने के लिए केंन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई, 2015 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
- इस परियोजना का लक्ष्य चक्रवात के प्रति सुभेद्यता को कम करना तथा लोगों एवं अवसंरचना को आपदा प्रत्यास्थ बनाना था। इस परियोजना के चार मुख्य घटक हैं।
- घटक A – अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी।
- घटक B – संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक उपाय।

- घटक C – चक्रवात संकट जोखिम शमन हेतु तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण तथा ज्ञान सृजन।
- घटक D – परियोजना प्रबंधन तथा कार्यान्वयन सहायता।
- इस परियोजना का विस्तृत या व्यापक लाभ चक्रवात संबंधी पूर्वानुमान, चक्रवात संबंधी जोखिम का शमन तथा बहु–संकट जोखिम प्रबंधन में क्षमता निर्माण है। परियोजना के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली मुख्य अवसंरचनाओं में बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय–स्थल (आश्रय–सह–गोदाम सहित), बस्तियों तक अभिगम सड़कें/पुल तथा समुद्री तटबंध आदि का निर्माण सम्मिलित है।

वर्तमान चुनौतियां

- राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर नियोजन तथा समन्वय की कमी के कारण जारी की गयी चेतावनियों के संबंध में पर्याप्त कार्यवाही न कर पाने के साथ–साथ लोगों द्वारा इनके जोखिम को न समझ पाना।
- संचार संबंधी टर्मिनल–एण्ड उपकरणों तथा संचार सहायक उपकरण सहायता का अभाव।
- आपदाओं के प्रति प्रभावी प्रत्यास्थता के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन में आधारभूत स्तर की भागीदारी का अभाव।
- NDMA तथा गृह मंत्रालय में ऐसे पूर्णतः स्वचालित तथा आधुनिकतम संचालन केंद्र का अभाव जिसमें रोज–मर्रा की गतिविधियों तथा साथ ही आपदाओं के समय के लिए सभी सभी टर्मिनल–एंड सुविधाएं तथा संचार कनेक्टिविटी उपलब्ध हो।
- देश में आपदा प्रबंधन के लिए विविध प्रकार के नेटवर्को की स्थापना हेतु विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्थापित नेटवर्कों के एकीकरण की आवश्यकता।
- चक्रवात के पश्चात् संचार तथा ट्रांसमिशन टॉवरों जैसी सुनियोजित रूप से अभिकल्पित संरचनाओं की विफलता।

डॉ. त्रिलोचन सिंह,
संकाय सदस्य

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 (2001) की विशेषताएँ

- 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायत राज व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने वाला प्रथम राज्य है।
- प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रभावशील है। जिला स्तर पर जिला पंचायत, विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है।
- पंचायतों का कार्यकाल उनके प्रथम सम्मेलन दिनांक से आगामी पाँच वर्ष का होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनकी प्रदेश में जनसंख्या के मान से पदों के आरक्षण की व्यवस्था है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आधे से कम पदों के आरक्षण होने पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिये 25 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है ।
- तीनों स्तर की पंचायतों के कुल पदों में से आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है ।
- अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के पदों का आरक्षण चक्रानुक्रम से किये जाने का प्रावधान है ।
- अध्यक्ष जिला एवं जनपद पंचायत एवं सरपंच ग्राम पंचायत के पदों का आरक्षण चक्रानुक्रम से किये जाने का प्रावधान है।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबन्ध अधिनियम 1996 के प्रावधानों को प्रदेश के पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में समाहित करने हेतु संशोधन किया जाकर इस अधिनियम के प्रावधान जोड़े गये है ।
- अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायतों के प्रमुख के स्थान अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित किए गये हैं।
- अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच,उपसरपंच या पंच व्दारा न की जाकर सममेलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा नामांकित व्यक्ति व्दारा अध्यक्षता किए जाने का प्रावधान किया गया है ।
- अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों में व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है ।
- ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अर्न्तगत भूमि, जल तथा वन आते हैं उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबन्धों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रबन्ध करने का प्रावधान है ।

- अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप–योजनाएँ सम्मिलित हैं तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखने का प्रावधान है ।
- प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसायें लागू की जाकर उनकी अनुशंसा के अनुरूप पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
- संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) के अन्तर्गत 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कार्यक्रम/योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गये हैं।
- राज्य के 23 विभागों की ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के कार्यक्रम का पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरण किया गया है ।
- योजनाएँ/कार्यक्रम जो पंचायतराज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये हैं से संबंधित बजट एवं अमला भी सौपा गया है ।
- ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारी एवं अधिकारी जिसका कार्यक्षेत्र ग्राम सभा क्षेत्र तक सीमित है का नियंत्रण ग्राम सभा को सौपा गया है। धारा 7 ट ।
- ग्रामसभा को गाँव की मूलभूत आवश्यकता से संबंधित 52 तरह के कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी सौपी गई है।
- ग्राम सभा की वर्ष में 4 सममेलनें अनिवार्य की गई हैं।
- ग्राम सभा की सम्मेलन के लिए कुल सदस्यों का 10 प्रतिशत या पाँच सौ सदस्य जो भी कम हो, से कोरम की पूर्ति का प्रावधान है।
- ग्रामसभा में सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है।
- ग्राम सभा को अनिवार्य एवं वैकल्पिक कर लगाने के अधिकार दिए गये हैं।
- ग्राम सभा का प्रतिवर्ष बजट तैयार किये जाने की व्यवस्था है।
- ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था ग्राम सभा को सौपे गये कार्यों के निपटारे हेतु दो स्थायी समिति एवं तदर्थ समिति गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- ग्राम सभा क्षेत्र के विकास से संबंधित गाँव की दीर्घकालीन योजना बनाने का प्रावधान किया गया है।
- ग्रामसभा में ग्रामकोष की व्यवस्था जिसके अर्न्तगत नगदकोष, अन्नकोष, वस्तुकोष एवं श्रम कोष की स्थापना की गई है।
- ग्राम पंचायत को बाजार फीस, बाजार में बेचे जाने वाले पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस लगाने के अधिकार दिया गया है।

- जनपद पंचायत को नाट्य गृहों या नाट्य प्रदर्शनी तथा सार्वजनिक मनोरंजन के प्रदर्शनों पर कर लगाने के अधिकार हैं।

- जिला पंचायत को अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई टेक्स लगाने के अधिकार नहीं दिए गये हैं।

- प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का गठन का प्रावधान किया गया है ।

- जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, निर्वाचित सदस्यों में से किए जाने का प्रावधान किया गया है ।

- सांसद एवं विधायक जिनका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के अर्न्तगत आता है को क्रमशः जिला एवं जनपद पंचायत की सदस्यता का प्रावधान है ।

- खण्ड के एक पंचमांश सरपंचों को उनके क्षेत्र से संबंधित जनपद पंचायत में एक वर्ष के लिए सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है।

- सरपंच/उपसरपंच के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव पंचो द्वारा प्रथम सम्मेलन के ढाई वर्ष अथवा कार्यकाल समाप्ति के छः माह पूर्व तक नहीं लाया जा सकता है ।

- सरपंच एवं पंच की उनके निर्वाचन के ढाई वर्ष पश्चात पद से वापसी का प्रावधान है ।

- उम्मीदवार जिसने पंचायत के व्दारा वसूली जाने वाली राशि का संदाय न किया हो और ऐसे आशय की घोषणा पंचायत निर्वाचन के दौरान न किए जाने पर अपात्र घोषित किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

- पंचायत तथा सरकार की किसी भूमि या भवन पर अधिक्रमण करने वाले व्यक्ति निर्वाचन के लिए अपात्र घोषित किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

- ग्राम पंचायत में 3 स्थायी समिति गठन का प्रावधान किया गया है ।

- जिला/जनपद पंचायत में 5 स्थायी समिति के गठन का प्रावधान है आवश्यकता होने पर विहित प्राधिकारी की अनुमति से अन्य समिति गठित करने का भी प्रावधान किया गया है।

- पंचायतों के सभी पदधारी को लोकसेवक की श्रेणी में माना गया है।

- राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रत्येक पांच वर्ष में सामान्य निर्वाचन एवं रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उप निर्वाचन की कार्यवाही प्रत्येक छः माह में की जा रही है ।

नीलेश कुमार राय
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी

जिला नरसिंहपुर ग्राम पंचायत आमगॉव बडा

जिला नरसिंहपुर की दूरी जिला जबलपुर से 90 कि मी है एवं मध्य प्रदे ा की राजधानी भोपाल से 225 कि मी की दूरी पर स्थित है । जिला नरसिंहपुर स्टेट हाईवे न, 22 पर स्थित है। जिला नरसिंहपुर जनपद पंचायत करेली मे ग्राम पंचायत आमगॉव बडा स्थित है ग्राम पंचायत आमगॉव बडा मे विभिन्न उत्कृश्ट कार्य कराए गए है । ग्राम पंचायत आमगॉव बडा मे किए गए महत्वपूर्ण कार्य, जो निम्न लिखित है –

हाट बाजार निर्माण

ग्राम पंचायत क्षेत्र मे हाट बाजार का निर्माण वर्श 2016.17 मे किया गया है। जिसमे भोड और आठ दुकाने जिला पंचायत द्वारा निर्मित की गई 10 दुकानो का निर्माण पंचायत निधि से किया गया है। जिसमे सप्ताह मे भानिवार एवं बुधवार को बाजार लगता है। जो कि ग्राम पंचायत की स्व आय का स्त्रोत है।

शौचालय निर्माण

ग्राम पंचायत आमगॉव बडा पूर्णत बाह्य भौच मुक्त है । ग्राम पंचायत मे स्वच्छ भारत मि ान के अंर्तगत 406 शौचालय का निर्माण हितग्राहियो के घरो मे किया गया है।इसके अतिरिक्त ग्राम के सभी घरो मे भौचालय उपलब्ध है।

नल जल

ग्राम पंचायत पूर्व से नल जल योजना संचालित थी। ईसी क्रम मे प्रत्येक घर मे पानी पहुचाने की दिशा मे 04 अतिरिक्त बोरवेल करवा कर घरो मे पानी पहुचाया गया। वर्तमान मे करीब 400 घरो मे नल जल योजना के अंतर्गत पानी पहुचाया जा रहा है। जो कि ग्राम को बाहय भौच मुक्त रखने मे काफी महत्वपूर्ण है।

पीएम आवास

ग्राम पंचायत आमगांव बडा मे पूर्व से भी आवासो का निर्माण किया है ।परन्तु वर्श 2019 .20 के मघ्य प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत 393 पूर्ण आवासो का निर्माण किया जा चुका है। भोश 09 आवासो का कार्य प्रगतिरत है।

पंचायत भवन गार्डन व ग्राउंड

ग्राम पंचायत के अंर्तगत पूर्व मे कोई ऐसा स्थान नही था जहां बच्चे खेल खेले और ना ही कोई पार्क था पंचायत ने वर्श 2017 मे पंचायत भवन परिसर मे गार्डन का निर्माण किया जिसमे भांति भांति के पेड पौधे लगाए और साथ ही एक खेल मैदान भी बनाया गया है। वर्तमान मे खेल मैदान मे बच्चे खेलते है और ग्राम के लोग मार्निग वॅाक के लिए गार्डन का प्रयोग करते है ।

बाजार मे मूत्रालय का निर्माण

ग्राम में जो हाट बाजार है। उसके अतिरिक्त भी बाजार काफी बडा है। जिसके लिए हाट बाजार का मूत्रालय कुछ दूरी पर है। ईसके लिए पंचायत ने दो अलग अलग स्थानो पर मूत्रालयों का निर्माण कराकर ग्राम के लोगो की समस्या का समाधान किया है।

कचरा प्रबंधन

ग्राम मे प्रत्येक दिवस 08 सफाई कर्मियो द्वारा ग्राम की सफाई की जाती है। और घरो से निकलने वाले कचरे को एकत्रित किया जाता है। ईस अपरिशिष्ट कचरे को एकत्रित करने के लिए ग्राम मे प्रत्येक दिन टेक्टर टाली के द्वारा कचरा एकत्रित किया जाता है।

नाडेप

ग्राम पंचायत में कचरा एकत्रित कर ग्राम के बाहर डम्पिंग ग्राउंड मे डाला जाता है। ग्राम के कुछ वि ोश स्थानो पर पंचायत के द्वारा नाडेप का निर्माण किया गया है। ग्राम मे 06 नाडेप का निर्माण किया गया है।जो कचरा एकत्रित करने का केन्द्र है।

पानी की निकासी

ग्राम पंचायत आमगांव बडा के द्वारा छोटी नालियो को एक नाले मे मिलाया ताकि गंदा पानी नाले के द्वारा ग्राम से बाहर निकल सके ईस प्रकार से ग्राम पंचायत मे 04 नालो का निर्माण पंचायत द्वारा किया गया है।

मुनादी

ग्राम पंचायत मे शासन द्वारा भिन्न भिन्न योजनाओ का प्रचार प्रसार करने के लिए माईक लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है । लाउड स्पीकर को कचरा प्रबंधन गाडी के साथ रख दिया जाता है। जिसके सम्पूर्ण ग्राम मे सूचनाए प्रसादित हो जाती है । और समया समय पर ग्राम कोटवारो के द्वारा माईक से मुनादी करवाई जाती है।

मेधावी पुरूस्कार

ग्राम मे 26 जनवरी के दिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मे भाग लेने सभी बच्चो को प्रमाण पत्र वितरित किए जाते है । इसके अतिरिक्त ग्राम की शालाओ मे अग्रणी रहने वाले बच्चो को भी पंचायत द्वारा विशेष पुरूस्कार दिए जाते है। ग्राम की विभिन्न धर्मिक समितियो के द्वारा इन मेधवी छा्त्रो को अलग अलग पुरूस्कार प्रदान किए जाते है।

इस प्रकार से ग्राम पंचायत आमगॉव बडा द्वारा कराए गए कार्य काफी सराहनीय प्रयास है। जिसमें इन उपलब्धियो ने ग्राम पंचायत को एक उत्कृष्ट पंचायत का दर्जा दिलाया है ।

अभिषेक नागवंशी,
संकाय सदस्य

भुवन पंचायत पोर्टल

"भुवन" (अर्थात पृथ्वी), भुवन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी।

"भुवन" भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा निर्मित एक उन्नत भू–इमेजिंग वेब पोर्टल है जो कि भू–गर्भ आधारित जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रीय रिमोट सेसिंग सेन्टर (एनआरएससी) ने भुवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकेन्द्रीकृत योजना अद्यतन परियोजना हेतु, भुवन पंचायत, इसरो के अंतरिक्ष आधारित सूचना का भाग है। संसाधनो के नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी एवं प्रबंधन हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है इसके अतिरिक्त "भुवन पंचायत" पोर्टल डिजिटल इंडिया का भी एक महत्वपूर्ण घटक है। भुवन पंचायत 3.0 का वेब यूआरएल www.bhuvan-panchayat3.nrsc.gov.in है।

www.bhuvan-panchayat3.nrsc.gov.in

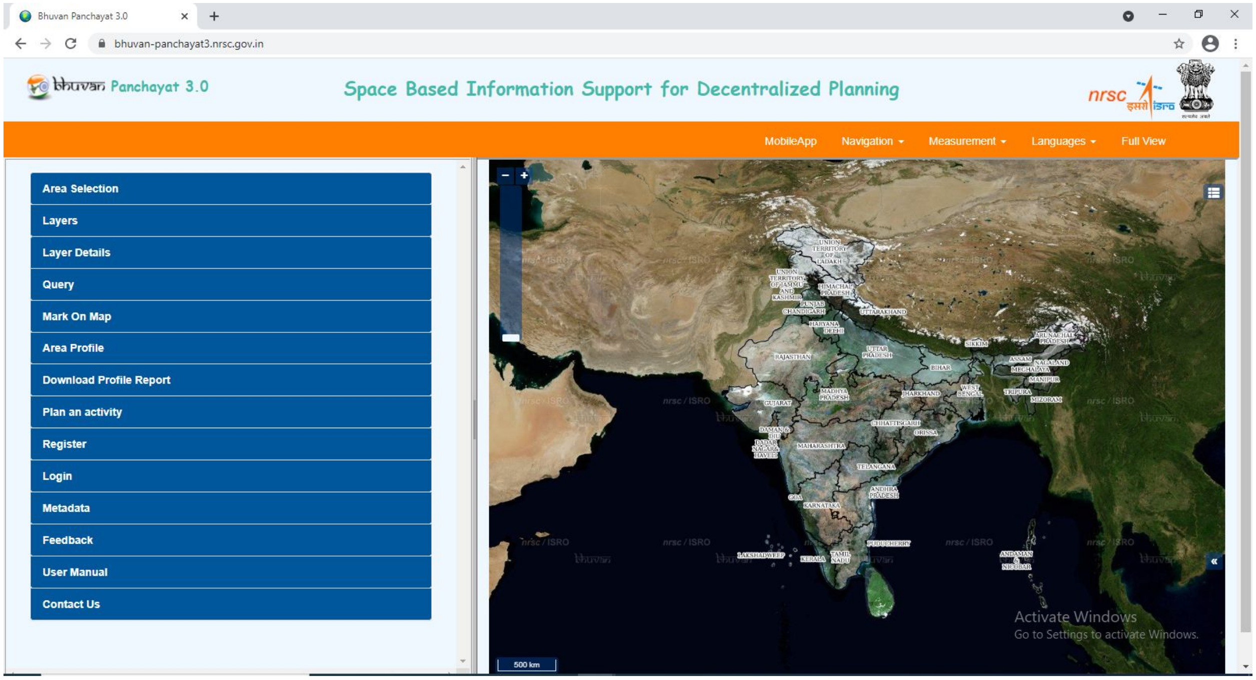

भुवन पंचायत 3.0

भारतीय रिमोट सेसिंग के उपग्रहो की श्रंखला की मदद से इसरो ने उपग्रहों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का उपयोग किया है, जिसमें भारत का सर्वोत्तम संभव चित्रण प्राप्त करने के लिए रिसोर्ससैट–1, कार्टोसेट–1 और कार्टोसैट–2 शामिल है। भुवन एक इन्टरैक्टिव, बहुमुखी, पृथ्वी की भू–गर्भीय जानकारी प्रदान करने वाला ब्राउज़र है जो थिमेटिक जानकारी को ओवरले करने की क्षमताओं के साथ मल्टीसेंसर, मल्टीप्लेटफार्म और मल्टीटेम्पोरल (इमेज़) चित्रों को प्रदर्शित करता है।

भुवन पंचायत पोर्टल वर्तमान में उपयोगकर्ताओं हेतु उपलब्ध है पोर्टल का यह तीसरा संस्करण पंचायत सदस्यों के लाभ के लिए डेटाबेस विज़ुअलाइज़ेशन एवं अन्य सेवाए प्रदान करेगा। यह परियोजना, पंचायतीराज मंत्रालय की ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया में भू–स्थानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए है। ग्राम पंचायतों द्वारा, ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने की प्रक्रिया में स्थान विशेष की भू–स्थानिक जानकारी प्राप्त करने हेतु भुवन पंचायत पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।

Search Area on GIS Viewer

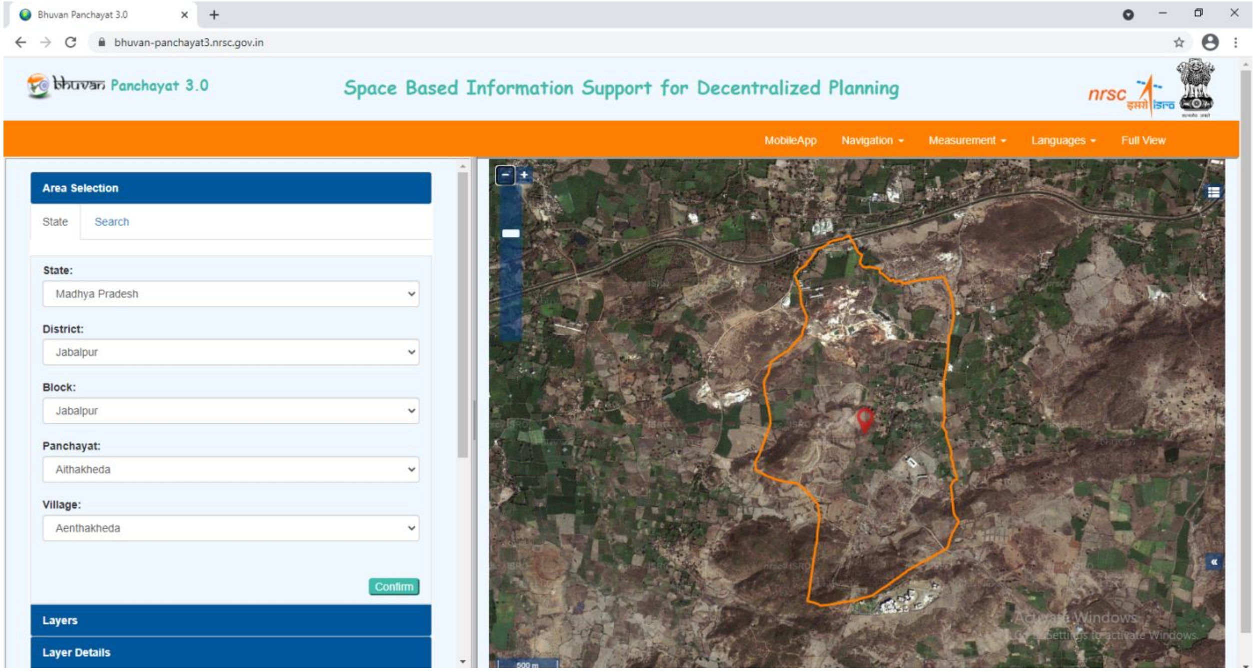

स्थान विशेष का जियोग्राफीकल चित्रण

भुवन पंचायत पोर्टल ग्राम पंचायत स्तर पर ही विकेन्द्रीकृत योजना बनाने की सुविधा प्रदान करता है उदाहरणार्थः किसी ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य सेवा इकाई, जल संचयन की जानकारी, सी.सी. रोड, नदी, तालाब, पंचायत भवन, पाठशाला, संचार नेटवर्क आदि की जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है उपरोक्त जानकारियों की उपलब्ध होने से ग्राम पंचायत हेतु प्रभावी विकेन्द्रीकृत योजना का निर्माण किया जा सकता है।

भुवन पोर्टल के प्रारंभिक संस्करण में उपयोगकर्ताओं ने विभिन्न कठिनाइयों का अनुभव किया था। पोर्टल काफी धीमी गति से वांछित जानकारी प्रदर्शित करता था। उपयोगकर्ताओं द्वारा इसमें पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करने की आवश्यकता होती थी इसके अतिरिक्त एप्लीकेशन को उपयोग करने के लिए प्लग–इन के भी डाउनलोड की आवश्यकता होती थी पोर्टल केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही ओपन होता था। किन्तु वर्तमान में भुवन पोर्टल में अत्यधिक सुधार हो गया है तथा भुवन पंचायत 3.0 एक उन्नत भू–इमेजिंग वेब पोर्टल के रुप में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

आशीष कुमार दुबे
प्रोग्रामर

“विकसित होता भारत”

सुभाषचंद्र बोस का नारा और स्वराज हमारा
खून के साथ आजादी का पावन रिश्ता हमारा
शहीदों के बलिदान से पुष्पित हिन्द स्वराज हमारा
विविधधर्मी,बहुभाषी संस्कृतियों का संगम हिन्दोस्ताँ हमारा
हस्ती कभी नही मिटेगी,अमर ये भारत हमारा
इसे प्यार,स्नेह मेहनत से सँवारे,ये है अभिमान हमारा
मोहब्बत,सर्वधर्म समन्वय से सजा,ये हिन्दोस्ताँ हमारा
गांधी,शास्त्री,भगतसिंह का प्यारा,हिन्दोस्ताँ हमारा
विजयी,विश्व,तिरंगा,प्यारा,झंडा ऊँचा रहे हमारा
विश्व,शाँति,बंधुत्व की राह पर विकसित होता,भारत हमारा
तकनीक और विज्ञान के साथ,आतिथ्य संस्कार का साक्षी देश हमारा
मीरा,कबीर,सूर के साथ पंत,निराला,बच्चन का हिन्दोस्ताँ हमारा
इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर मुस्कुराता हिन्दोस्ताँ हमारा
विश्व की महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति का साक्षी गणतंत्र हमारा
सदा अमर रहे इसका वैभव यही है अरमान हमारा।

“सुंदर हिन्दुस्तान”

दया और करुणा के गीत
हम आओ सबको सुनायें
सुंदर हिन्दुस्तान बनायें।

बुद्व की वाणी ,कबीर का
आचरण ,,रहीम के दोहे
गायें

जाति और धर्म के भेद
हटकर सबको गले लगाये।

जहाँ हमें ना अपनाये तो
नया जहाँ बनाये

सुंदर हिन्दुस्तान बनायें।

हम बदले पीडा का
स्वर,दु:खियों के आँसू पोछें

दृढ संकल्पों की वेदी पर
मेहनत का बीज बोयें

जनसाधारण की खुशी के
लिये अपना जीवन लगायें

सुंदर हिन्दुस्तान बनायें।

माना कि मुश्किलें है
बहुत,चुनौती भी है विकराल

फिर भी निष्ठा और लगन
से कर सकते हैं कमाल

जन जन के हित में अपने
कदम,आओ मिलकर बढायें

सुंदर हिन्दुस्तान बनायें।

“रंगपंचमी”

रंगपंचमी का त्योहार और
रंगो की बहार

फागुन की मदमस्त हवा और
उमंगो की फुहार

दिलों मे मोहब्बत,पाकीजगी
और प्यार का इजहार

अबीर,गुलाल,गुझिया से
करते सबका सत्कार

प्रेम,आत्मीयता और रंगो का
सहकार

खुलूस,भाईचारा और रिश्तों
का सत्कार

विविध रंगों/संस्कृतियों
और धर्मो का सहकार

रंगारंग गेर और खुशी से
करते सब इजहार

विविध रंगी भारतीय
संस्कृति,परम्परा का नही
कोई पारावार

नाचें गायें धूम मचायें,सबको
बाँटे प्यार

मिलजुल कर रहे,प्यार
बाँटें,रखे सुखी संसार।

प्रतीक सोनवलकर, संयुक्त आयुक्त